

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2025/225 सुरेन्द्र सिंह / पुत्रराज

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील जारी हुए
2025/384	श्री कृपकृष्ण शर्मा	CEA-6 श्री राजेश चोपड़ा। मे. 5.
29.1.26	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट एवं रैसपो. उपस्थित। राजस्व वार संघ / जिला वार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 11/02/26 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
11.2.26	पत्रावली पेश की गई। वकुलाय डप. पत्रावली 27/3/26 को पेश की गई। वास्ते बहल प्रा.पत्र धारा 96 CPC, धारा 5 मित्राड अचि. व प्रा.पत्र स्थगन दिनांक 27/3/26 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
27/3/26	पत्रावली पेश की गई। वकुलाय डप. पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहल प्रा.पत्र धारा 96 CPC, धारा-5 मित्राड अचि. व प्रा.पत्र स्थगन दिनांक 7/5/26 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
07/5/26	पत्रावली पेश की गई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहल प्रा.पत्र धारा 96 CPC, धारा-5 मित्राड अचि. व प्रा.पत्र स्थगन दिनांक 18/5/26 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
18/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट एवं रैसपो. उपस्थित। राजस्व वार संघ / जिला वार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 22/5/26 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
22/5/26	पत्रावली पेश की गई। अतिनाजक अपीलान्ट एवं अपीलान्टस उपस्थित नहीं। अतिनाजक अपीलान्टस अपीलान्टस को कट्टी कर कर कर कटाते डिमांड जस्टि किन्तु उपस्थित नहीं हुए, कट! अपील अपीलान्टस वार वार की कट्टी जारी है। पत्रावली जेयलभुमार होकर नम्बर से कट्टी हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या 384/2024 सन 2025 जिला अजमेर

सुरेन्द्र सिंह राव पुत्र श्री मंगलसिंह राव जाति राव निवासी
वार्ड नं0 59 चौरसियावास रोड, वैशाली नगर अजमेर
तहसील व जिला अजमेर।

.....अपीलांट

बनाम

1. मुखराज पुत्र सुरेश
2. इन्द्रा पुत्री सुरेश पत्नि डालचंद
समस्त जाति नट निवासी द्वारा दिलीप सिंह जी अम्बेडकर
कॉलोनी मारवाड बस स्टेण्ड के पास पुष्कर तहसील
पुष्कर जिला अजमेर।
3. श्रीमति बिदामी पत्नि बाबू
4. सुरेश पुत्र बाबू
5. रेखा पुती सुरेश
समस्त जाति नट निवासी ग्राम चांवडिया तहसील पुष्कर
जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पुष्कर जिला
अजमेर।

.....रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड
अधिकारी महोदय पुष्कर दिनांक 6.12.2017 प्रकरण
संख्या 29/2017 उनवानी पुखराज बनाम बिदामी
में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलाण्ट की ओर से निम्न निवेदन है:-

1. यह कि इस अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि
रेस्पोंडेंट सं0 1 व 2 द्वारा रेस्पोंडेंट सं0 3 लगायत 5 के विरुद्ध एक